



### मध्यप्रदेश अधिनियम

(दिनांक 7 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई ; "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 12 अक्टूबर 1983 को प्रथमावार प्रकाशित की गई )उन विवादों में, जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम हैं, मध्यस्था करने हेतु एक अधिकरण की स्थापना के लिए और उससे आनुवंशिक या संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-



### अध्याय 1—प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण अधिनियम, 1983 है.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा
- (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें,
- (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

क) "माध्यस्थम् अधिनियम" से अभिप्रेत है माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 10,

ख) "बैच" से अभिप्रेत है धारा 9 के अधीन गठित की गई अधिकरण की बैच

ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अध्यक्ष"

घ) "विवाद" से अभिप्रेत है 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्यांकन के अभिनिश्चित धन के दावे से संबंधित कोई विवाद जो किसी संकर्म संविदा या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन; से उद्भूत होता है"

घघ) "न्यायिक सदस्य" से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन विहित की गई अर्हताएँ रखने वाला सदस्य"

ड.) "सदस्य से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकरण का सदस्य

च) "पक्षकार" के अन्तगत उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, या समुनदेशिती आएगा

छ) "लोक उपक्रम" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 1) की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई सरकारी कंपनी और उसके अन्तर्गत है कोई निगम या अन्य कानूनी निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो दोनों में से प्रत्येक दशा में पूर्णतः या सारतः राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो,"

ज) "अधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित माध्यस्थम् अधिकरण और, उसके अन्तर्गत धारा 9 के अधीन गठित उसकी बैच आती हैं

झ) "संकर्म संविदा" के अभिप्रेत है किसी भवन या अधिरचना (सुपर स्ट्रक्चर), बांध, बीयर, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, कुआ, पुल, पुलिया, कारखाना, कर्मशाला, बिजलीघर, टांसफारमरों अथवा राज्य सरकार या लोक उमक्रम के ऐसे अन्य संकर्मों के, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करे, सन्निर्माण, मरम्मत या अनुरक्षण से संबंधित किसी संकर्म के, उसके प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर निष्पादन के लिये कोई लिखित करार जो राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकारके किसी पदधारी द्वारा अथवा किसी लोक उपक्रम द्वारा या ऐसे लोक उपक्रम के लिये और उसकी और से उसके किसी पदधारी द्वारा किया गया हो और उसके अन्तर्गत है माल या सामग्री के प्रदाय के लिए कोई करार और उक्त

संकर्मों में से किसी संकर्म के निष्पादन से संबंधित समस्त अन्य विषय।”

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुई हैं, किन्तु पारिभाषित नहीं हैं, और जो माध्यस्थम् अधिनियम में परिभाषित हैं वे ही अर्थ होंगे । जो माध्यस्थम् अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं –



## अध्याय 2 अधिकरण का गठन

### 3. अधिकरण का गठन:-

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक माध्यस्थम् अधिकरण गठित करेगी जो संकर्म संविदा से संबंधित या किसी ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से उद्भूत होने वाले या उससे सम्बद्ध समस्त विवादों या मतभेदों का निराकरण करेगा

### 4. अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य तथा उनकी अर्हताएँ:-

(1) उपधारा (2) और (3) के अधधीन रहते हुए राज्य सरकार अधिकरण में एक अध्यक्ष और इतने सदस्य नियुक्त कर सकेंगी जितने वह आवश्यक समझे।(1-क) राज्य सरकार, अध्यक्ष के परामर्श से, न्यायिक सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगी जो अध्यक्ष के पद में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, छुट्टी या अन्य कारण से हुई रिक्त की दशा में, ऐसी रिक्त के दौरान अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा”

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो।

(3) कोई भी व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त के लिये तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि—

**एक)** वह कम से कम साठ वर्ष से जिला न्यायाधीश न हो या कम से कम सात वर्ष तक जिला न्यायाधीश न रह चुका हो या

**दो)** वह कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से राजस्व आयुक्त न हो या कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक राजस्व आयुक्त न रह चुका हो या राजस्व आयुक्त की पदश्रेणी के समतुल्य कोई पद धारण न कर चुका हो या

**तीन)** वह—

**क)** लोक निर्माण, सिंचाई या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में राज्य सरकार की सेवा में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो या

**ख)** मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की सेवा में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से मुख्य अभियंता न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक मुख्य अभियंता न रह चुका हो या

**ग)** महालेखाकार, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कम से कम पांच वर्ष की कालावधि से ज्येष्ठ उप-महालेखाकार न हो या कम से कम पांच वर्ष की कालावधि तक ज्येष्ठ उप महालेखाकार न रह चुका है” परन्तु खण्ड (तीन) की दशा में, असाधारण परिस्थितियों में, राज्य सरकार पांच वर्ष की विहित न्यूनतम कालावधि को शिथिल करके तीन वर्ष कर सकेगी ”.

## 5. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि:—

- (1) अधिकरण का अध्यक्ष और उसके सदस्य पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे .
- (2) अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए, जब तक कि वह 67 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा :परन्तु अध्यक्ष, अपने उत्तरवर्ती के उसके पद ग्रहण करने तक या छह मास तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण किए रहेगा.
- (2क) सदस्य, उस तारीख से, जिसको कि वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए, जब तक कि वह पैसठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, इनमें से जो पूर्वतर हो, उस हैसियत में पद धारण करेगा.”

## 6. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और उनकी परिलब्धियां:—

अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा वेतन, भत्ते और परिलब्धियों, यदि कोई हो, दी जाएंगी जो विहित की जाएँ, और जब तक नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक उन्हें ऐसा वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां दी जाएंगी जो राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा, अवधारित करें.



## अध्याय 3— अधिकरण के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ तथा अधिकरण की प्रक्रिया

## 7. अधिकरण को निर्देश:—

1. अधिकरण कोई निर्देश उस दशा में ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि—

- (क) विवाद पहले संकर्म संविदा के निबंधनों के अधीन अंतिम प्राधिकारी के विनिश्चय के लिए निर्देशित नहीं किया जाता है और
- (ख) याचिका, अंतिम प्राधिकारी के विनिश्चय के संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिकरण को नहीं की जाती है :परन्तु यदि अंतिम प्राधिकारी उसे निर्देश किए जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर विवाद का विनिश्चय करने में असफल रहता है वहां याचिका छह मांस की उक्त कालावधि का अवसान होने से एक वर्ष के भीतर अधिकरण को की जाएगी”.

(2)ऐसा निर्देश ऐसे प्रारूप में तैयार किया जाएगा जो विहित किया जाए और उसके समर्थन में ऐसा शपथ पत्र दिया जाएगा जिसमें प्रकथनों का सत्यापित किया गया हो.

(3)निर्देश के साथ ऐसी फीस ली जाएगी जो विहित की जाए

(4) प्रत्येक निर्देश के साथ ऐसी दस्तावेजें या ऐसा अन्य साक्ष्य दिया जाएगा और आदेशिकाओं की तामील या निष्पादन के लिए ऐसी अन्य फीस दी जाएगी जैसा विहित किया जाए

(5) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, यदि अधिकरण का समाधान हो जाता है कि वह निर्देश न्याय निर्णयन के लिए उचित मामला है, तौ वह निर्देश को ग्रहण कर सकेगा किन्तु जहां अधिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देश को संक्षेपतः खारिज कर सकेगा”.

## 7—क. निर्देश याचिका:—

(1) प्रत्येक निर्देश याचिका में वह संपूर्ण दावा सम्मिलित होगा जो पक्षकार निर्देश याचिका फाइल करने तक संकर्म संविदा के बारे में करने का हकदार है किन्तु किसी अन्य संकर्म संविदा से उद्भूत होने वाले दावे ऐसी निर्देश याचिका में संयोजित नहीं किए जाएंगे.

(2) जहां कोई पक्षकार कोई दावा या अपने दावे के किसी भा को निर्देशित करने का लोप करता है या उसका साशय त्याग कर देता है, वहां वह तत्पश्चात् ऐसे दावे के भाग के, जिनका इस प्रकार लोप या त्याग कर दिया है, संबंध में निर्देश करने के लिए हकदार नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संकर्म संविदा से संबंधित ऐसे विवाद जो निर्देश याचिका फाइल किये जाने के पश्चात् उद्भूत हो, उनके उद्भूत होने पर, ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, ग्रहण किये जा सकेंगे जो विहित की जाएं

#### 7-ख. परिसीमा:-

(1) अधिकरण कोई निर्देश उस दशा में ग्रहण नहीं करेगा-

(क) जबकि किसी विवाद के संबंध में संकर्म संविदा के करार के निर्बंधनों के अधीन कोई विनिश्चय करार के अधीन अंतिम प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका हो, वहां जब तक कि निर्देश याचिका ऐसे विनिश्चय के, यदि कोई को, संसूचित किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं की जाती है।

(ख) जबकि कोई विवाद करार के अधीन अंतिम प्राधिकार को निर्देशित किया गया है और ऐसा प्राधिकारी उसका विनिश्चय उसे निर्देश किये जाने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर करने में असफल रहता है, वहां जब तक कि वह निर्देश याचिका उक्त छह मास की कालावधि का अवसान हो जाने की तारीख से एक वर्ष भीतर नहीं की जाती है।

(2) उपधारा (1) के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पूर्व या ऐसे प्रारंभ के पश्चात् किन्तु मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1990 के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रारम्भ ही नहीं की गई है, वहां निर्देश याचिका मध्यप्रदेश अधिकरण (संशोधन) अधिनियम 1990 के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस तथ्य के होते हुए भी ग्रहण की जाएगी कि करार के अधीन अंतिम प्राधिकारी द्वारा कोई विनिश्चय किया गया है या नहीं।

(2-क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण कोई निर्देश याचिका उस दशा में ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि निर्देश याचिका विवाद उत्पन्न होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर नहीं की जाती है।

#### 8. निर्देश प्राप्त होने पर प्रक्रिया:-

(1) जैसे ही धारा 7 में वर्णित कोई निर्देश अधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होता है, उसकी तथा शपथपत्र निर्देश प्राप्त होने पर और दस्तावेजों की संबीक्षा अधिकरण के ऐसे उत्तरदायी पदधारी द्वारा की जाएगी जिसे अध्यक्ष, साधारण प्रक्रिया, या विशेष आदेश द्वारा, उस निमित्त प्राधिकृत करें।

(2) निर्देश को, उसके व्यवस्थित पाये जाने की दशा में, या यदि उसमें कोई दोष या कमी पाई जाती है तो उसे दूर कर दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत और क्रमांकित किया जाएगा तथा अध्यक्ष के समक्ष जाएगा।

(3) अध्यक्ष, विवाद की प्रकृति, अन्तर्ग्रस्त रकम और अन्य सुसंगत बातों, यदि कोई हो, का ध्यान रखते हुए, उसे बैंच को इस हेतु सौपेगा कि वह उस पर अधिनिर्णय दे।

(4) वह बैंच, जिसको कोई निर्देश इस प्रकार सौंपा जाता है, हेतुक दर्शित करने के लिए उसकी सूचना-विरोधी पक्षकार को जारी करवाएगी। सूचना ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए और उसमें उपसंजाति के लिए तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी। परन्तु यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्देश के लिये कोई आधार नहीं है तो इस उपधारा में कि कोई बात उसे निर्देश को उन कारणों से, जो लेख वद्ध किए जाएंगे, मामले के किसी भी प्रक्रम पर, खारिज करने से निवारित नहीं करेंगी।

(5) विरोधी पक्षकार, सूचना में उपसंजाति के लिए विनिर्दिष्ट की गई तारीख को या उसके पूर्व, लिखित उत्तर, जो विरोधी पक्षकार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होगा, ऐसे शपथपत्र के साथ फाइल कर सकेगा जिसमें उन प्रकथनों को सत्यापित किया गया हो जो उत्तर में किये गये हैं।

## 9. बैंचों का गठन और कार्य वितरण करने की अध्यक्ष की शक्ति :-

- (1) अध्यक्ष, कार्य के सुविधापूर्ण संपादन के लिए, एक या अधिक बैंचों का गठन कर सकेगा जिनमें दो या अधिक इतनी संख्या में सदस्य होंगे, जैसा कि वह उचित समझे :परन्तु यदि बैंच की अध्यक्षता अध्यक्ष स्वयं नहीं कर रहा हो तो उसमें कम से कम एक सदस्य न्यायधिक सदस्य होगा :परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष, किसी मामले में साक्ष्य अभिलिखित करने के लिये एक बैंच गठित कर सकेगा जिसमें एक सदस्य होगा”.
- (2) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, बैंचों के बीच कार्य का वितरण कर सकेगा, और कोई मामला एक बैंच से प्रत्याहृत करके उसे किसी दूसरी बैंच को सौंप सकेगा.
- (3) अध्यक्ष किसी बैंच की संरचना में ऐसी परिवर्तन कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे.

## 10. अधिकरण और बैंचों की प्रक्रिया के लिए विनियम:-

अधिकरण, अपने समक्ष के या अपनी बैंचों के समक्ष के कार्य के संपादन के लिये विनियम बना सकेगा. इस प्रकार बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाएंगे और वे राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख को या ऐसी अन्य पश्चात्तर्वर्ती तारीख को, जो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त होंगे.

## 11. अधिकरण या बैंच द्वारा स्वयं की प्रक्रिया का विनियमित किया जाना:-

माध्यस्थम् अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु किन्ही ऐसे विनियमों के, जो धारा 10 के अधीन बनाये जाएं, अध्यक्षीन रहते हुए, अधिकरण अपने स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन इस प्रकार करेगा जैसा कि वह न्यायोचित और उचित समझे, किन्तु किसी पक्षकार को अपना प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता या मान्यत-प्राप्त अभिकर्ता से कराने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा.

## 12. साक्ष्य, शपथपत्र आदि के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की बावत् अधिकरण या बैंच की शक्ति:-

(1) निम्नलिखित बातों के बारे में अधिकरण को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वे ही शक्तियां होंगी जो सिविलि संहिता, 1908 (1908 का संख्या 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात्:-

- (क) प्रकटीकरण और निरीक्षण
- (ख) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना
- (ग) जहां किसी विवाद्य प्रश्न पर विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) के उपबन्धों के अधीन सुसंगत हो, वहां विशेषज्ञ की परीक्षा करना या निर्देश के पक्षकारों में से किसी पक्षकार को उसकी परीक्षा करने के लिये अनुज्ञात करना
- (घ) साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का सं. 1) की धारा 123 तथा 124 के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए, लेखा बहियां तथा दस्तावेजों पेश करने के लिए बाध्य करना.”
- (ङ) कमीशन निकालना
- (च) पक्षकार के या किसी साक्षी के शपथपत्र द्वारा तथ्यों का सबूत मंगाना और यह आदेश करना कि ऐसा शपथपत्र ऐसी शर्तों पर जिन्हे अधिकरण या संबंधित बैंच ठीक समझे, सुनवाई में पढा जा सकेगा.

## 13. बैठक का स्थान :-

अधिकरण, अपने समक्ष के कार्य का संपादन करने के लिये, सामान्यतः अपनी बैठकें भोपाल में करेगा और जब कभी आवश्यक या सुवधिजनक समझा जाय, सुनवाई के लिये या स्थल निरीक्षण के लिये अपनी बैठकें राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी कर सकेगा जैसा कि अध्यक्ष

अनुज्ञात करे.

#### 14. कार्यवाहियों और अधिनिर्णय को कतिपय परिस्थितियों में चुनौती नहीं दी जाएगी:—

अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति में कोई ऐसी त्रुटि होने के कारण अथवा अधिकरण या उसकी किसी बैच के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में कोई ऐसी अनियमितता होने के कारण, जो मामले के गुणागुण पर या अधिकरण की अन्तर्निहित अधिकारिता पर प्रभाव न डालती हो, अधिकरण के समक्ष की कोई भी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं हो जाएगी और किसी भी अधिनिर्णय को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

#### 15. कतिपय परिस्थितियों में कार्यवाहियों का चालू रहना:—

- (1) अधिकरण के समक्ष लंबित किसी मामले में, वह इस बात के होते हुए भी कार्य कर सकेगा कि अध्यक्ष या कोई सदस्य अनुपस्थित है या अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में कोई रिक्त हैं :
- (2) जहां किसी कार्यवाही के दौरान, अधिकरण के गठन में कोई परिवर्तन किसी रिक्त के भर दिये जाने के कारण या किसी अन्य कारण से हो गया हो, वहां यह आवश्यक नहीं होगा कि कार्यवाहियों को नये सिरे से प्रारंभ किया जाय और उन कार्यवाहियों को उसी प्रक्रम से चाले रखा जा सकेगा जिस प्रक्रम पर परिवर्तन हुआ हो, और अधिकरण के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह उस साक्ष्य, उन शपथपत्रों तथा ऐसी अन्य सामग्री के आधार पर कार्यवाही करे जो गठन में यथा पूर्वोक्त परिवर्तन होने के पूर्व उसके समक्ष रखी जा चुकी है.



#### अध्याय 4—अधिकरण या उसकी बैचों के अधिनिर्णय और आदेश

#### 16. अधिनिर्णय:—

- (1) अधिकरण, साक्ष्य का अभिलेखन, यदि आवश्यक हो, करने के पश्चात्, और अभिलेख पर की सामग्री का परिशीलन करने तथा पक्षकारों को अपने-अपने तक प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् अधिनिर्णय देगा :“परन्तु यह और भी कि अधिकरण, जिसके अंतर्गत अंतरिम अधिनिर्णय भी है, के लिए संक्षेप में कारण देगा”
- (2) अधिकरण, विरोधी पक्षकार पर निर्देश की सूचना की तामील होने के तारीख से यथासंभव चार मास के भीतर अपना अधिनिर्णय देगा.
- (3) अधिकरण खर्च तथा ब्याज ऐसी दर से अधिनिर्णीत कर सकेगा जो उसे युक्तियुक्त प्रतीत हो.
- (4) अधिनिर्णय सदस्यों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा. यदि बैच के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तो वह प्रश्न, यदि बहुमत हो, सदस्यों की बहुसंख्या की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, किन्तु यदि सदस्यगण बराबर-बराबर बंटे हुए हों, तो वह प्रश्न या वे प्रश्न, जिन पर उनमें मतभेद हो, यथास्थिति अधिकरण के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा या स्वयं अध्यक्ष द्वारा ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर सुनवाई किये जाने के लिए मामले के निर्देश के लिए कथित किये जाएंगे, और तब ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न अधिकरण के उन सदस्यों की जिन्होंने इस मामले को सुना हैं, जिनके अन्तर्गत वे सदस्य भी हैं जिन्होंने पहले उसकी सुनवाई की है, बहुसंख्या की राय के अनुसार विनिश्चित किये जाएंगे.”
- (5) मंजूर किया गया अनुतोष, वह पक्षकार, जिसके पक्ष में तथा जिसके विरुद्ध अनुतोष मंजूर किया गया है और वह व्यक्ति, जिसके द्वारा तथा जिसके पक्ष में खर्च तथा ब्याज, यदि कोई, संदेह है, अधिनिर्णय में स्पष्ट रूप से वर्णित किये जाएंगे.
- (6) अधिनिर्णय की प्रतियां, जो अधिकरण के किसी ऐसे अधिकारी के, जिसे अध्यक्ष द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, हस्ताक्षर से तथा उसकी मुद्रा लगाकर प्रमाणित की गई हों, सभी पक्षकारों को दी जाएंगी.

#### 17. अधिनिर्णय की अंतिमता:—

माध्यस्थम् से संबंधित किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रेतिकूल बात के होते हुए भी किन्तु धारा 19 के अध्याधीन रहते हुए, अधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिया गया अधिनिर्णय, जिसके अन्तर्गत "अन्तरिम" अधिनिर्णय भी आता है, अंतिम तथा उसके पक्षकारों पर आबद्धकर होगा.

### 17-क अन्तर्निहित शक्तियां:-

इस अधिनियम में की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेश करने अधिकरण की अन्तर्निहित शक्तियों को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है जो न्याय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अधिकरण की आदेशिका के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक हैं :परन्तु अधिनिर्णय के पूर्व ब्यादेश रोक या कुर्की के तौर पर कोई अन्तरिम आदेश नहीं किया जाएगा :परन्तु यह और भी कि अधिकरण को अधिनिर्णय का, जिसके अन्तर्गत अन्तरिम अधिनिर्णय भी है, पुनर्विलोम करने की कोई शक्ति नहीं होगी.

### 17-ख. लेखन या गणित संबंधि भूलों का सुधार:-

अधिनिर्णयों, अंतरिम अधिनियमों या आदेशों में की लेखन या गणित संबंधी किन्ही भूलों, किसी आकस्मिक चूक या लोप के कारण उनमें हुई किन्ही त्रुटियों को अधिकरण द्वारा, किसी समय, या तो स्वप्रेरणा से या संबंधित पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा."

### 18. अधिनिर्णय जिला न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा:-

इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण में, यदि कोई हो, किये गये किसी आदेश द्वारा यथा पुष्टिकृत, विखंडित या फेरफारित किसी अधिनिर्णय को, जिसके अन्तर्गत अन्तरिम अधिनिर्णय भी आता है, सिविल प्रक्रिय संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह अधिनिर्णय या अन्तरिम अधिनियम किया गया है, और वह तदनुसार निष्पादनीय होगा.



### अध्याय 5 – उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति.

### 19. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति-

(1) उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या अधिनिर्णय के तीन मास के भीतर किसी व्यथित पक्षकार द्वारा उसे किये गये आवेदन पर, किसी ऐसे मामले का, जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय किया गया है, अभिलेख अधिकरण को अध्यक्षता जारी करके मंगवा सकेगा, और ऐसी अध्यक्षता प्राप्त होने पर, अधिकरण उस न्यायालय को संबंधित अधिनिर्णय और उसका अभिलेख भेजेगा या भिजवाएगा.

(2) यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अधिकरण में-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि के अनुसार उसमें निहित नहीं है; या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में चूक की है; या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता से कार्य किया है; या

(घ) स्वयं अवचार किया है या कार्यवाहियों का कुसंचालन किया; या

(ङ.) ऐसा अधिनिर्णय दिया है जो अविधिमान्य है या यह कि वह अधिनिर्णय कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा अनुचित रूप से उपाप्त किया गया है, तो उच्च न्यायालय उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे.

(3) उच्च न्यायालय, इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को विनिश्चित करने में, यथाशक्य उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिनका प्रयोग और जिसका अनुसरण वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की धारा 115 के अधीन किसी पुनरीक्षण को विनिश्चित करने में करता है। (4) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण में किये गये अपने आदेश की एक प्रति प्रमाणित करके अधिकरण को भिजवाएगा।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अधिनिर्णय के अन्तर्गत अन्तरिम अधिनिर्णय आएगा।



## 20. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जनः—

(1) अधिकरण के गठन की तारीख से, और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 10) या सिविल न्यायालय को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी प्रकार करार या प्रथा में किसी तत्प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, किसी भी अधिकारिता का वर्जन, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा किया जा सकता है "(1-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सिविल न्यायालय, उक्त उपधारा विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी विवाद को, जो किसी व्यक्ति द्वारा निर्धन व्यक्ति की हैसियत में निर्दिष्ट किया जाए, ग्रहण और विनिश्चित कर सकेगा।

**स्पष्टीकरणः—** इस उपधारा के प्रयोजन के लिए "निर्धन व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का सं. 5) में उसके लिए दिया गया है। (2) उपधारा (1) में की कोई भी बात किन्ही ऐसी माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू नहीं होगी जा माध्यस्थम् अधिनियम के या माध्यस्थम् से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन किसी मध्यस्थ या अधिनिर्णायक के समक्ष या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो, और ऐसी कार्यवाहियों को करार या प्रथा या माध्यस्थम् अधिनियम के या माध्यस्थम् से संबंधित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुसार उनके सभी प्रक्रमों पर इस प्रकार चालू रखा जा सकेगा, सुना जा सकेगा और विनिश्चित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त ही न हुआ हो।

## 21. अधिकरण में अधिकारी और सेवकः—

(1) अध्यक्ष, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिकारियों और सेवकों के इतने पद सृजित कर सकेगा जितने कि आवश्यक हो, और अधिकरण के प्रशासनिक या अन्य कार्य के लिये अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगा। परन्तु तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग की श्रेणियों के अनुसचिवीय पदों से भिन्न पदों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्तियां

(एक) राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना, और  
(दो) राज्य सरकार द्वारा इस विषया पर समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों का अनुसरण किए बिना, नहीं की जाएगी "

(2) अधिकरण के अधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए, और जब तक नियम नहीं बनाये जाते हैं, वे ऐसी होगी जैसी कि अध्यक्ष द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अवधारित की जाएं।

## 22. अध्यक्ष, सदस्य आदि लोक सेवक होंगेः—

इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर नियुक्ती किए गए अध्यक्ष, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक को भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा.

### 23. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण:-

इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाये, इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई सद्भावपूर्वक की या की जाने से सद्भावपूर्वक छोड़ दी गई किसी बात के लिये या यथापूर्वोक्त की गई या की जाने के लिये आशयित किसी गई कार्रवाई का अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी.

### 24. न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराध के विषय में अधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां आदि:-

(1) न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के, जहां तक कि वह ऐसे निर्देश या विधिक कार्यवाही से सम्बद्ध है, प्रयोजनों के लिये, अधिकरण को अपने समक्ष के किसी निर्देश या विधिक कार्यवाही के संबंध में सिविल न्यायालय समझा जाएगा और उसके समक्ष के किसी निर्देश या विधिक कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा.

(2) अधिकरण को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 340, 342, 344, 345, 346, 348, 349, और 350 के अधीन ऐसी अधिकारिता होगी और वह उन धाराओं के अधीन की शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग करना यह स्वविवेकानुसार आवश्यक या समीचीन समझे.

### 25. प्रत्यायोजित करने की शक्ति:-

अध्यक्ष, लिखित आदेश द्वारा और ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के, यदि कोई हो, जिन्हें वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करे, अध्यक्षीय यह निदेश दे सकेगा कि -

(एक) अधिकरण के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति से संबंधित

(दो) अधिकरण के प्रशासनिक मामलों से संबंधित ; और

(तीन) वित्तीय मामलों से संबंधित

किसी शक्ति का, जिसका प्रयोग इस अधिनियम द्वारा या उसके अनुसरण में अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है, "प्रयोग अधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा और/या एक या अधिक सदस्यों द्वारा या एक या अधिक अधिकारियों द्वारा भी किया जा सकेगा.

### 26. मुद्रा:-

अधिकरण या उसकी बैंच और अधिकारी ऐसी मुद्राएं उपयोग में ला सकेंगे जिन पर हिन्दी और अंग्रेजी में ऐसा उत्कीर्ण लेख होगा जैसा कि अध्यक्ष अनुमोदित करें.

### 27. दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रतियां:-

ऐसी शर्तों के तथा ऐसी फीस के पूर्व संदाय के अध्यक्षीय रहते हुए जैसी कि राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, अभिलेख और के दस्तावेजों जो ऐसे अभिलेखों के भागरूप हों, समस्त पक्षकारों या उनके अभिकर्ताओं या विधि व्यवसायियों के निरीक्षण के लिये अधिकरण के कार्यालय समय के दौरान खुले रहेंगे, और यथा पूर्वोक्त के अध्यक्षीय रहते हुए, अधिनिर्णय, अन्तरिम की और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जिनके लिए पक्षकार, उनके अभिकर्ता या विधि व्यवसायी आवेदन करे, अधिकरण के ऐसे अधिकारी के प्रमाणपत्र के अधीन दी जाएंगी जिसे अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उस निमित्त नियुक्त करें.

### 27-क. अधिवक्ता की फीस का अवधारण:-

कार्यवाहियों में दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार की ओर से अधिकरण के समक्ष उपसंचालक होने

वाले अधिवक्ता की देय फीस उतनी हागी जो विहित की जाए.”

## 28. अभिलेख रजिस्टर आदि रखने और जानकारी तथा आंकड़े देने के लिए अधिकरण को निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति:—

राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, अधिकरण को निर्देश दे सकेगी कि वह—

(क) ऐसी वाहियां, जिनके अन्तर्गत लेखावाहियां, रजिस्टर, अभिलेख और फाइलें आती हैं, तथा ऐसी कालावधि के लिये, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए रखे;

(ख) अधिकरण के गठन और कार्यकरण के बारे में संस्थित, लंबित तथा निपटाए गए प्रकरणों की संख्या के बारे में, या किसी अन्य संसक्त विषय के बारे में ऐसी जानकारी या आंकड़े, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य सरकार को दे.

## 29. नियम बनाने की शक्ति:—

(1) राज्य सरकार साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिये नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेगे—

(क) धारा 6 के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियां (यदि कोई हो);

(ख) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निर्देश का प्रारूप “(ख-ख) (एक) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन, निर्देश के लिए फीस,

(दो) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन वह फीस जो आदेशिकाओं की तामील या उनके निष्पादन के लिए निर्देश के साथ दी जाएगी और ऐसी दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य जो निर्देश के साथ दिए जाएंगे;

(ख ख ख) धारा 7-क की उपधारा (3) के अधीन वह शर्त जिसके अधीन रहते हुए कोई निर्देश याचिका ग्रहण की जा सकेगी”.

(ग) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन सूचना का प्रारूप;

(घ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

(ङ) धारा 27 के अधीन अभिलेखों और दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये फीस और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुये ऐसा निरीक्षण किया जा सकेगा, तथा पूर्वोक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दी जाने के लिये फीस

(च) अधिकरण, उसकी बैठों द्वारा तथा अधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली मुद्राओं का आकार और विवरण;

(छ) निर्देश, आवेदन और शपथ पत्रों तथा वकालतनामा के संबंध में और दस्तावेजों, आवेदनों पर या अधिनिर्णय, अन्तरिम अधिनिर्णय, आदेश, राय, प्रमाण-पत्र तथा अधिकरण या उसकी बैठ के समक्ष की कार्यवाहियां के अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां तैयार करने के लिये देय फीस और ऐसी फीस दी जाने की रीति;”

(ज) धारा 27-क के अधीन अधिवक्ताओं को देय फीस.”

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जायें या विहित किया जा सकता हो.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा.

## 30. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति:—

यदि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये किसी अधिसूचित आदेश के उपबन्धों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार उस कठिनाई को लिखित आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किये गये अधिसूचित आदेश के उपबन्धों से असंगत न हो दूर कर सकेगी :परन्तु कोई भी ऐसा

आदेश, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

**31. विनियमों और कतिपय आदेशों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना:—**

धारा 10 के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम और धारा 30 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा और मध्यप्रदेश साधारण खड अधिनियम, 1957 (क्रमांक 3 सन् 1958) की धारा 24-क क उपबन्ध उसे उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे नियमों को लागू होते हैं.